243

30 AUG 2019

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Module – 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)–M–GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Devendra Prakash Meena **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** * 7102

Center & Date: DL 1 30/08/19 **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 1134510

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

_____
मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

_____
पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

खंड - क/ SECTION - A

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के द्वारा नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता का मौका मिला।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2019 को लाने का कारण :→

① सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित कमियाँ
   - → मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भाँति होना। (जबकि दोनों का कार्य अलग-अलग)
   - → सूचना आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध HC में अपील का प्रावधान

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रावधान

① मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की वेतन एवं कार्यकाल निर्धारण सरकार द्वारा किया जाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

② RTI आवेदक की मौत के बाद सूचना देना आवश्यक नहीं होना।

पारदर्शी शासन व्यवस्था पर प्रभाव

→ सूचना आयुक्त के कार्यकाल एवं वेतन-भत्तों पर सरकारी नियंत्रण उनकी कार्यदक्षता को प्रभावित कर सकता है।

- → स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णयन नहीं।
- → राजनीतिक हस्तक्षेप

→ ~~सबात~~ RTI आवेदक की मौत होने पर सूचना प्रदान न करना। ~~क्या~~ एक प्रकार से व्हीसल ब्लोअर को हतोत्साहित करना है।

- → व्हिसिल ब्लोअर के विरुद्ध कार्यवाही/आपराधिक कृत्य
- → व्हिसिल ब्लोअर को हतोत्साहित करना

सारांशतः स्पष्ट है कि RTI (संशोधन) विधेयक, कुछ सीमाओं से युक्त है, जो एक प्रभावी एवं पारदर्शी लोकतंत्र में बाधा बन सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम से लिखा गया है, जो कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है। इसी को दर्शाती हुयी विशेषता इसकी संशोधन प्रक्रिया है।

अनुच्छेद - 368 के तहत संशोधन

दो प्रकार

केवल संसद द्वारा	आधे से अधिक राज्यों की सहमति
→ संसद अपने विशेष बहुमत अर्थात् कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से Ex - → सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या वृद्धि करना।	→ विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकृत Ex - → राष्ट्रपति का निर्वाचन → राज्यसभा सीटों का आवंटन। → GST

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रक्रिया

सर्वप्रथम संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके पश्चात् यदि राज्यों की सहमति अनिवार्य है, तब उसे राज्यों के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आलोचना

→ संशोधन प्रक्रिया की आलोचना का मुख्य कारण इसका सरल होना है।

अमेरिकी संविधान में संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया है।

→ संशोधन प्रक्रिया में राज्यों को केवल सीमित शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ तक कि राज्य क्षेत्रों का परिवर्तन, बिना उनकी सहमति के संभव है।

निष्कर्ष

भारत एक विकसित एवं परिपक्व होता लोकतंत्र है, उसमें समय के अनुरूप संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत लाया गया है (केशवानन्द भारती वाद)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये।
(150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुये जनहित याचिका प्रणाली प्रारंभ की।

कारण

- कार्यपालिका की निष्क्रियता।
- बढ़ती सामाजिक अपेक्षाएँ
- संवैधानिक दायित्व (मूल अधिकारों का रक्षक)

हाल ही में जनहित याचिकाओं ने अपार सफलता के द्वारा समाज में व्यापक समर्थन पाये।

Ex- IPC धारा 375 (मैरिटल रेप) असंवैधानिक

IPC धारा 377 (समलैंगिक संबंध) असंवैधानिक

किन्तु जनहित याचिकाओं की बढ़ती तादाद ने SC पर लगभग 57 हजार केस लंबित होने का बोझ डाल दिया।

ऐसे में यह आवश्यक हो जाता कि यह पहचान हो कि कौनसी जनहित याचिका वास्तविकता में जनहित धारण करती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आवश्यकता

→ कुछ मामलों में केवल स्वार्थ सिद्ध करने हेतु याचिका लगाना।

→ झूठी प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा।

→ अन्य विकल्पों के बावजूद SC तक याचिका पहुँचाना।

→ सरकारी कानूनों की उपस्थिति के बावजूद याचिका दायर करना।

~~दोष~~

निष्कर्ष - अतः आवश्यक है कि विकसित होते लोकतंत्र में की विकास प्रक्रिया को अधिक शिक्षित एवं जागरूक बनाया जाये। जहाँ जनहित को स्वहित के लिए प्रयुक्त न करें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।
(150 शब्द) 10

Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण

① संवैधानिक
- संसदीय शासन व्यवस्था
- कार्यपालिका का उत्तरदायी होना।

② प्रक्रियागत
- प्रश्नकाल → प्रश्न पूछकर नियंत्रण करना
  - तारांकित
  - अतारांकित
  - अल्पसूचना
- निंदा प्रस्ताव
  - किसी मंत्री या सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
  - कारण उपस्थिति आवश्यक
- अविश्वास प्रस्ताव → सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
- स्थगन प्रस्ताव

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ कटौती प्रस्ताव → नीतिगत कटौती
→ आर्थिक कटौती
→ सांकेतिक कटौती

→ विभिन्न समितियाँ → लोक लेखा समिति
→ प्राक्कलन समिति

सीमाएँ

① लोकसभा में बहुमत की उपस्थिति।
→ विपक्ष कमजोर होना।

② पर्याप्त बहस / चर्चा न होना
→ गिलोटिन द्वारा बजट पेश
→ चर्चाओं में गुणवत्ता अभाव

③ समितियों की रिपोर्ट पर बहस नहीं

④ लोक सभा अध्यक्ष → पूर्वाग्रह से मुक्त होना।

आगे की राह

→ ई-विधान प्रणाली की व्यवस्था करना।
→ शैडो - कैबिनेट की व्यवस्था।
→ लोक-सभा अध्यक्ष को ब्रिटिश संसद की भाँति दल की सदस्यता से त्याग ताकि निरपेक्षता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दवाब समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

किसी भी लोकतंत्र के समन्वयित विकास के लिए राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति आवश्यक है।

राजनीतिक दल	दबाव समूह
→ ये ~~प्रायः~~ औपचारिक होते है तथा सरकार निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते है। Ex - कांग्रेस, BJP, TMC	→ ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनो होते है। सरकार निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। Ex - औपचारिक → एसोचैम, फिक्की; - अनौपचारिक → छात्र समूह, किसान आन्दोलन
→ स्वयं नीति निर्माण में भूमिका निभाते है	→ सरकारी नीतियों में परिवर्तन कराते है।

दबाव समूहों द्वारा नीति प्रभावित करना

① औपचारिक दबाव समूह सामान्यतः अधिक संगठित एवं प्रभावी रूप से नीति निर्माण को प्रभावित करते है। Ex - लॉबिंग, डेलिगेशन, पत्र आदि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

② अनौपचारिक दबाव समूह कई प्रकार के अस्त्रों की सहायता लेते हैं

- → औपचारिक प्रतिनिधि द्वारा वार्ता / पत्र
- → आन्दोलन → अन्ना आन्दोलन
- → धरना प्रदर्शन →
- → जन-जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाकर

महत्व

दबाव समूह एक लोकतंत्र के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र को प्रगतिशील, सक्षम तथा संभावनाशील तो बनाते ही है।

साथ ही सरकार के विपक्ष, सहयोगी तथा पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

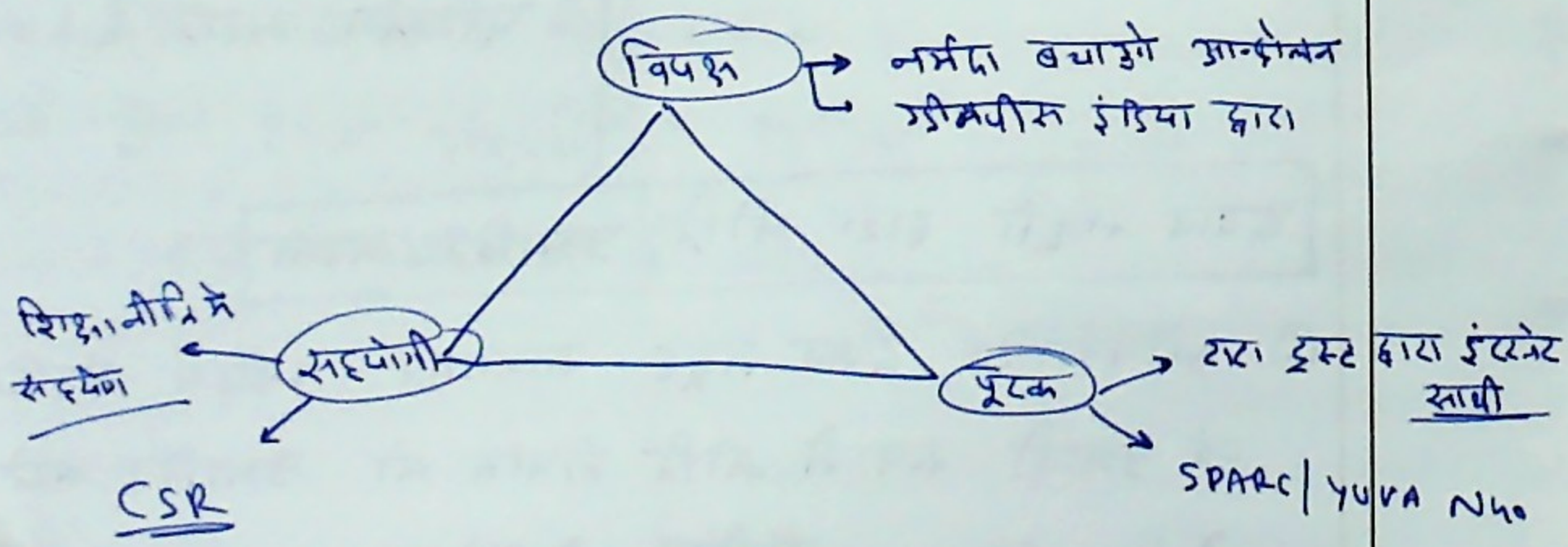

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरोगेसी से तात्पर्य है - किराये की कोख अर्थात् बाल सुख से वंचित दम्पति द्वारा किसी डोनर माँ के सहयोग से बच्चा प्राप्त करना।

सरोगेसी से संबंधित मुद्दे

① व्यावसायिक सरोगेसी
- → महिला गरिमा के खिलाफ
- → महिला शोषण

② लिखित अनुबंध नहीं
- → दम्पत्ति द्वारा बच्चा ग्रहण न करना
- → जागरूकता के अभाव में शोषण

③ स्वास्थ्य संबंधी
- → बार-बार गर्भ धारण से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव

④ नागरिकता संबंधी विवाद
- → बच्चे की नागरिकता किस देश की

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
- → व्यावसायिक सरोगेसी पूर्णतः बंद
- → केवल एक बार सरोगेट मदर बनने की छूट
- → केवल भारतीय परिवारों के लिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अनदेखी किये गये मुद्दे

→ धारा-377 के असंवैधानिक होने के बावजूद समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी से रोकना।

→ मेडिकल टूरिज्म पर नकारात्मक प्रभाव।

→ NRI को यह सुविधा नहीं देना, जबकि उन्हें मताधिकार प्रदान किया है।

• ~~मातृत्विकता संबंधी~~

→ रक्त संबंधी को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया है।

आगे की राह

→ रक्त संबंधियों की स्पष्टता हो।

→ समलैंगिकों को सुविधा प्रदान करना

→ विधि आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट की सिफारिशों की अनुपालना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय लोकतंत्र को आधारभूत एवं सहभागी रूप प्रदान किया गया।

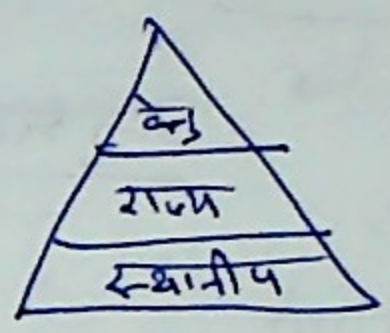

न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता ने ~~प्रस्तुत~~ इस सहभागी लोकतंत्र को तार्किकता एवं वैचारिक उच्चता प्रदान की है।

न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता के पक्ष में

① साक्षरता का स्तर बढ़ेगा।

② सरकारी नीतियों की बेहतर समझ एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन।

③ जनप्रतिनिधि के गुमराह होने की संभावना कम

④ प्रधानपति की अवधारणा पर चोट

↳ महिला शिक्षा → निर्णयन

⑤ आधुनिक जटिलताओं का बेहतर एवं नवाचारी समाधान।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विपक्ष

① संवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लंघन → भारतीय संविधान में चुनाव में भाग लेना एवं अधिकार।

② कम साक्षर/असाक्षर को कम नवाचारी मानने की गलत धारणा।
↳ अनुभव अधिक → प्रदर्शन क्षमता बेहतर

③ महिला विरोधी → भारत में कुछ राज्यों में महिला साक्षरता 50% के आसपास | जबकि ST की साक्षरता बेहद कम।

निष्कर्ष

न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवश्यक है, किन्तु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा वृद्धों में शिक्षा प्रसार भी आवश्यक है, ताकि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

बच्चों के प्रति लगातार बढ़ रही यौन हिंसा के कारण POCSO अधिनियम को लागू किया गया किन्तु ~~अब~~ इसकी अप्रभाविता ने इसे अधिक कठोर रूप (POCSO (संशोधन)) प्रदान किया।

POCSO (संशोधन) विधेयक की कठोरता

- → इसमें दंड को बढ़ाकर न्यूनतम 10 वर्ष किया है
- → गंभीर अपराध पर 10 की बजाय 20 वर्ष की कैद
- → कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण पर फाँसी।

कारण

↳ 2016 में NCRB के अनुसार बच्चों के प्रति POCSO के तहत घटनाएं ~~क~~ 36000 के आस-पास थी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

→ प्रत्येक 2 में से 1 बच्चा किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

क्रियान्वयन संबंधी समस्याएँ

① जागरूकता नहीं -
↳ कानून की कठोरता के संबंध में जागरूकता नहीं

② बच्चों को यौन शोषण की जानकारी देने संबंधी प्रावधानों का प्रावधान नहीं होना।
↳ गुड टच, बैड टच की जानकारी नहीं दी जाती।

③ परिजनों की अधिक संलिप्तता -

आगे की राह

बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं किन्तु संवेदनशील वर्ग है। अतः सभी हितधारकों को निकट प्रयास करने की आवश्यकता है।

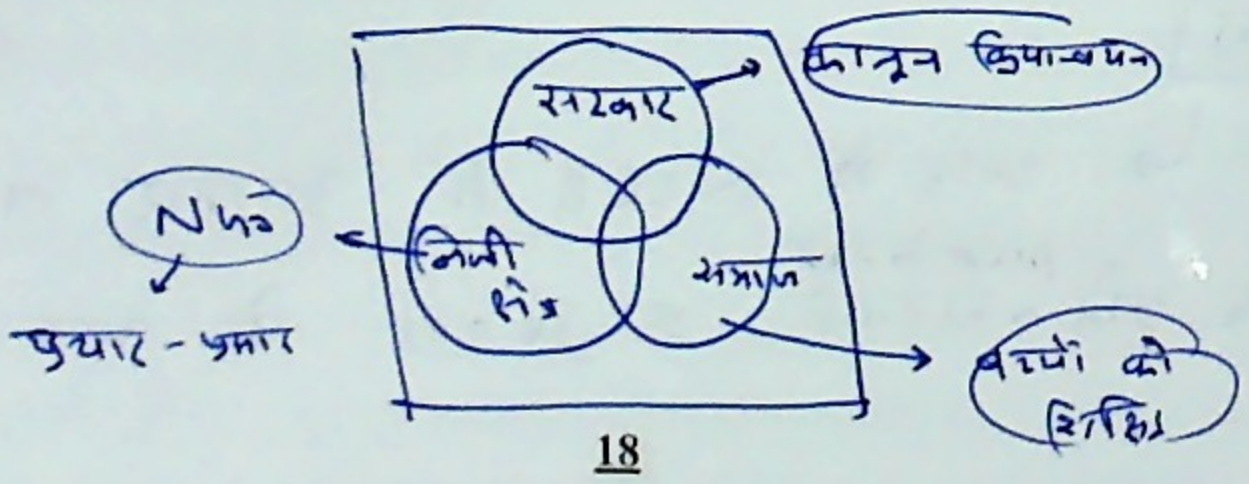

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल में भारत की विदेश मंत्री को UAE में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में बुलाया गया।

महत्व

① पहली बार IOC की बैठक में भारत की भागीदारी।

② 1.9 करोड़ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व।

③ इस्लामिक राष्ट्रों द्वारा पाकिस्तान के विरोध के बावजूद निमंत्रण।

भारत के लिए भू-राजनीतिक महत्व

① पाकिस्तान द्वारा J&K मसले पर IOC को लगातार गुमराह किये जाने को भारत तथ्य सहित प्रत्युत्तर।

② मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा भारत को अधिक महत्व, पाकिस्तान को अलग-थलग करने

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

में सहायक।

③ 55 इस्लामिक राष्ट्रों का समर्थन UNSC में सुधार के लिए महत्वपूर्ण।

④ पाकिस्तान को समर्थन शक्ति के एक मंच में कमी करना, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि।

निष्कर्ष

19 करोड़ मुस्लिम आबादी के हितों को धारण करने वाले भारत की JOC में उपस्थिति मुस्लिम वर्ग के लिए एक लंबित न्याय की प्राप्ति के साथ भारत की महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले वर्ष हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को महत्व देना इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता

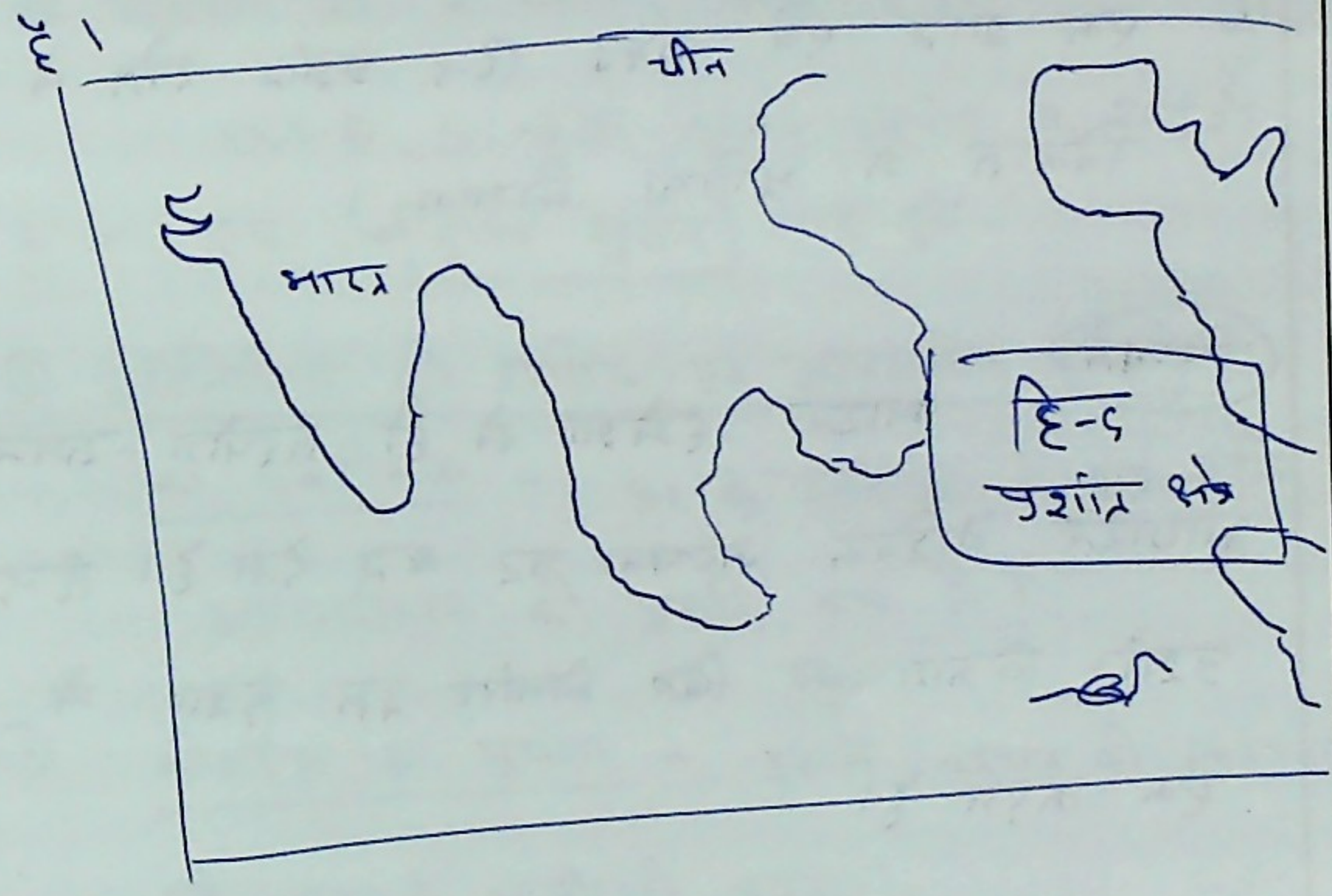

हाल में भारत सरकार द्वारा हिन्द प्रशांत विभाग की स्थापना की गई है।

महत्व

① हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ बेहतर द्विपक्षीय वार्ता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

② साझे हितों की खोज करना।

③ चीन के प्रभाव में कमी करना।

④ इन राष्ट्रों से बेहतर संबंध होने की स्थिति में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करना।

⑤ भारत में निवेश वृद्धि करना।

⑥ एक शांत एवं समृद्ध हिन्द प्रशांत क्षेत्र के विकास में भूमिका निभाना।

(निष्कर्ष) भारत हमेशा से ही सहयोग-समन्वय आधारित वैश्विक संरचना पर बल देता है। हिन्द प्रशांत विभाग का निर्माण इस दिशा में एक कदम है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को नियंत्रण, अधीक्षण एवं नियमन की शक्तियाँ प्राप्त है।

हाल में SC तथा चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद कुछ चुनाव सुधार लागू हुये -

① प्रतिनिधियों की शैक्षिक एवं आपराधिक दस्तावेजों का प्रकटीकरण - SC के निर्देशों के बाद ताकि अपराधीकरण की प्रवृत्ति कम हो।

② NOTA का प्रयोग → इससे चयन की स्वतंत्रता एवं चुनाव में भागीदारी बढ़ना।

③ टोटलाइजर मशीन → इसमें 15 पोलिंग बूथ की गणना एक साथ की जाती है।

④ VVPAT - EVM की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

⑤ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड बैलेट मत - सरकारी कर्मचारियों के लिए।

⑥ चुनावी बांड → वित्तीय पारदर्शिता लागू करने के लिए।

किन्तु अभी चुनाव सुधार के लिए कई मुद्दों को ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

→ आंतरिक लोकतंत्र ⇒ वेंकट चेलैया आयोग की सिफारिश
- → महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा (अभी केवल 14.31%)
- → मुस्लिम प्रतिनिधित्व (अभी केवल 4.9%)

→ राज्य वित्त पोषण [विधि आयोग, इंद्रजीत गुप्त समिति]
- → पारदर्शिता (केवल 32% स्रोत का विवरण)
- → क्रोनी कैपिटलिज्म कम होगा
- → धनबल, कालाधन कम

→ अपराधीकरण पर नियंत्रण [पद्मनाभैया आयोग, वोहरा समिति] की सिफारिश
- → वर्तमान में अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है

वर्ष	2009	2014	2019
% अपराधी	30%	34%	43%

→ दल बदल पर कठोर कानून → चुनाव पूर्व गठबंधन भी सम्मिलित हो

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ नोटा को महत्व

↳ कई स्थानों पर नोटा महत्वपूर्ण रहा है

↳ चयन की स्वतंत्रता को अधिक बल

→ निर्वाचन प्रणाली

↳ हाइब्रिड इलेक्टोरल प्रणाली

↳ पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा

निष्कर्ष

भारत एक विकसित होता लोकतंत्र है, जहाँ जैसे-जैसे जनता जागरूक होती जायेगी, अधिकारों की मांग करने से लोकतंत्र सशक्त होता जायेगा।

Ex- हरियाणा, महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग द्वारा NOTA को महत्व देना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वैश्विक उपबंधों तथा संवैधानिक दायित्वों (DPSP) का पालन करते हुये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम को अनुसंधित किया गया।

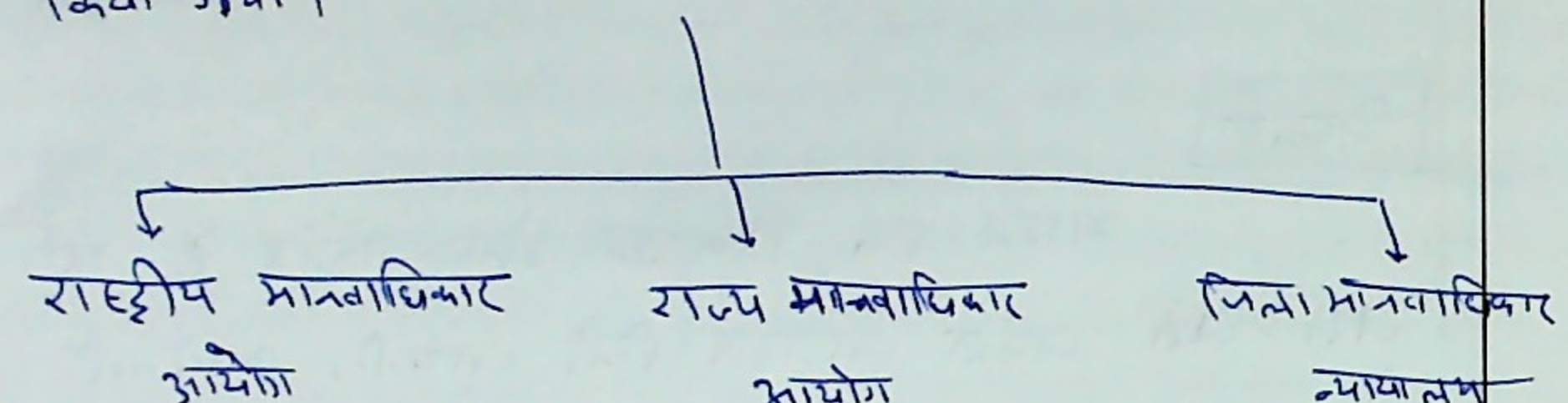

उद्देश्य

- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित निर्णय
- शोषण के सभी रूपों का खात्मा
- फर्जी एनकाउंटर तथा जेलों में कैदियों की दशा सुधार

समस्याएँ

① संरचनात्मक - इसमें अधिकांशतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जबकि विशेषज्ञों की नियुक्ति अधिक प्रभावी बना सकती है।

② स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

③ सैन्य न्यायालयों के संबंध में सीमित क्षेत्राधिकार।

④ एक वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं की जा सकती

⑤ न अपिल का अधिकार और न ही दंड देने का अधिकार।

⑥ अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं

इन्हीं सीमाओं के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नख दंत विहीन शेर की संज्ञा दी जाती है।

सुदृढ़ता के प्रयास

① संरचनात्मक सुधार

- विशेषज्ञों की नियुक्ति
- बाल संरक्षण आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रतिनिधित्व
- निर्णयों पर संसद में बहस हो तथा बाध्यकारी
- स्वतः संज्ञान की अधिकार।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

② एक वर्ष से पूर्व ~~निर्णयों~~ मामलों के संबंध में जाँच का अधिकार।

③ सैन्य मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार।

④ जेल की दशाओं में सुधार के लिए अधिक अधिकार प्रदान किये जाये।

निष्कर्ष → एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि अपने नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उचित शिकायत निवारण तंत्र हो। अतः NHRC की शक्तियों में बढ़ोत्तरी आवश्यक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

निर्वाचन प्रणाली की निरन्तरता एवं निष्पक्षता - स्वतंत्रता राष्ट्र के लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। हाल में राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराये जाने की मांग का प्रधानमंत्री द्वारा समर्थन किया गया।

पक्ष

① प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि → आचार संहिता लागू होने के कारण → पॉलिसी पैरालिसिस
→ डेमोक्रेसी डेफिसिट

② सामाजिक सौहार्द → राजनीतिक दलों द्वारा जाति-धर्म के आधार पर प्रचार → सामाजिक सौहार्द में कमी

③ धन का अधिक खर्च → काले धन का लगातार प्रयोग धनबल में वृद्धि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

④ वित्तीय लागत →

↳ इलेक्शन कमीशन की लागत में कमी

↳ सैन्य बलों के स्थानान्तरण की लागत।

⑤ वोटरों के हित

↳ एक सर्वे के अनुसार 77% मतदाता विधानसभा एवं लोकसभा में एक ही पार्टी को

⑥ सामाजिक पक्ष

↳ शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी
शिक्षण प्रभावित

हानि

① संवैधानिकता

↳ संविधान संशोधन की आवश्यकता।

↳ कुछ विधानसभा कार्यकाल कम करना कुछ बढ़ाना

② क्षेत्रीय मुद्दे

↳ क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व नहीं

[हाल ही में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोकसभा व विधानसभा चुनाव]

③ निरन्तरता → भविष्य में एक भी विधानसभा/लोकसभा का समय पूर्व विघटन

④ उत्तरदायित्व

↳ बार-बार चुनावों से सत्ता पक्ष उत्तरदायी।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

③ रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव

↳ संसदीय नियंत्रण को कमजोर करना

चुनौतियाँ

⇒ निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 में एक साथ चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त की गई।

⇒ विभिन्न राज्यों द्वारा इसका विरोध करना।

⇒ संघीय व्यवस्था में इसका महत्व कम।

निष्कर्ष

किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनाव कराना एक साधन होना चाहिए किन्तु भारत में चुनाव कराना साध्य बन गया है।

अतः आवश्यकता है कि एक साथ चुनाव अथवा दो चुनाव [(विधि आयोग द्वारा) कुछ आधे राज्य एक साथ] की ओर बढ़ना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।

(Candidate must no write on this margin

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों (Art 41 व 47) के अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

आयुष्मान भारत एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य

① विस्तार - इसके अन्तर्गत लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया है।

② बीमारियों की संख्या - लगभग 1300 से अधिक प्रकार की बीमारियों को सम्मिलित किया है।

③ हितधारक - निजी क्षेत्रक भी सम्मिलित

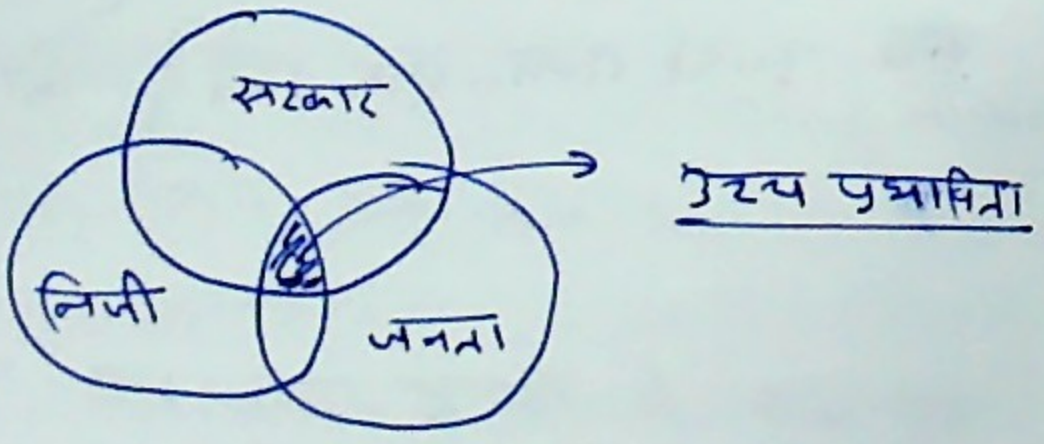

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright © Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

④ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 1.5 लाख हैल्थ एवं वैलनेस सेंटरों की स्थापना। सामुदायिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करेगी।

⑤ 5 लाख तक बीमा → भारत में 62% लोग out of pocket Expenditure के शिकार (जिसमें 5.5 करोड़ गरीब)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सीमाएँ

① आधी जनसंख्या इसके दायरे में नहीं है।

② इसमें मूल समस्या अवसंरचनात्मक ढाँचे तथा डॉक्टरों की कमी - [0.5 बेड/1000]

[1600 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर]

पर ध्यान नहीं दिया है।

③ शहरी - ग्रामीण विषमता को केन्द्रित नहीं किया।

④ Preventive Healthcare को ध्यान दिया। जबकि

Preventive > Curative

⑤ प्रशिक्षण की व्यवस्था पर ध्यान नहीं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

आगे की राह

→ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप स्वास्थ्य बजट में वृद्धि आवश्यक है (2.5% of GDP)

वर्तमान में विश्व की तुलना में बेहद कम है -

देश	UK	USA	China	India
% GDP	11%	8%	6%	1.4%

→ सामुदायिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना आवश्यक है।

→ सतत विकास लक्ष्य - 3 को लक्षित किया जाना आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे?
(250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India?
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में लिखित संविधान है, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है. जो संविधान का आधारभूत ढाँचा है।

संसदीय प्रणाली के गुण

① कार्यपालिका की संसद से नियुक्ति एवं संसद के प्रति उत्तरदायित्व।

② निर्णय प्रणाली की व्यापक बहस के साथ समग्रता।

③ प्रश्न काल, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण।

④ इससे मंत्रिमंडल में विभिन्न समुदायों आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है।

⑤ राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री (कार्यपालिका) में निहित है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

दोष

⑥ बजट के पारित न होने की स्थिति में शटडाउन से उत्पन्न खतरों को टालना।

दोष

① स्थायित्व का अभाव

↳ कार्यपालिका की संसद पर निर्भरता

② अध्यक्षीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद संसद से बाहर भी बनाई जा सकती है।

↳ विशेषज्ञता

③ संसद के प्रति उत्तरदायी न होना

↳ स्वतंत्रता का अभाव।

संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण

① सरलता

↳ जटिल नहीं होना।

② पूर्व में प्रयत्न

↳ ब्रिटिश शासन में प्रयत्न

③ राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां देना टकराव का कारण बन सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।

(Candidate must no write on this margi

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5) सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व

↳ आरक्षण के द्वारा संसद में उपस्थिति

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

निष्कर्ष

सारांशत: स्पष्ट है कि संसदीय प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के सुदृढ़ता के लिए महत्त्वपूर्ण रही है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।

(Candidate must no write on this margi

भारत में विकास की प्रक्रिया को स्थायी एवं अस्थायी (राजनीतिक) कार्यपालिका द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

स्थायी	अस्थायी
→ सरकार के प्रति उत्तरदायी → नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन → जनता से प्रत्यक्ष चुनाव नहीं → अनामिता	→ जनता के प्रति उत्तरदायी → नीति की सिफारिश → जनता से चुनाव → उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता

संघर्ष के क्षेत्र

① लगातार परिवर्तित नीतियाँ।

② स्थायी कार्यपालिका पर अनावश्यक राजनीतिक दबाव।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

③ यूरोक्रेटिक इनर्शिया

④ स्थानान्तरण, पदोन्नति संबंध मुद्दे।

⑤ स्थायी कार्यपालिका का संवैधानिक के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल के प्रति नहीं।

सुशासन के लिए समन्वय

① नीति निर्माण - क्रियान्वयन

↳ स्थायी कार्यपालिका, जनता की उम्मीदों / आकांक्षाओं के अनुरूप नीति निर्माण

② संक्रमण काल में नीतिगत स्थायित्व

↳ सरकारों के परिवर्तित होने पर भी नीतिगत सामंजस्य

③ सुविधा वितरण - सिरे के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुँचाना।

चूंकि दोनों कार्यपालिका किसी भी कल्याणकारी राज्य के मूल है। दोनों की एक-दूसरे पर निर्भरता है। ऐसे में दोनों के

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

मध्य समन्वय ही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

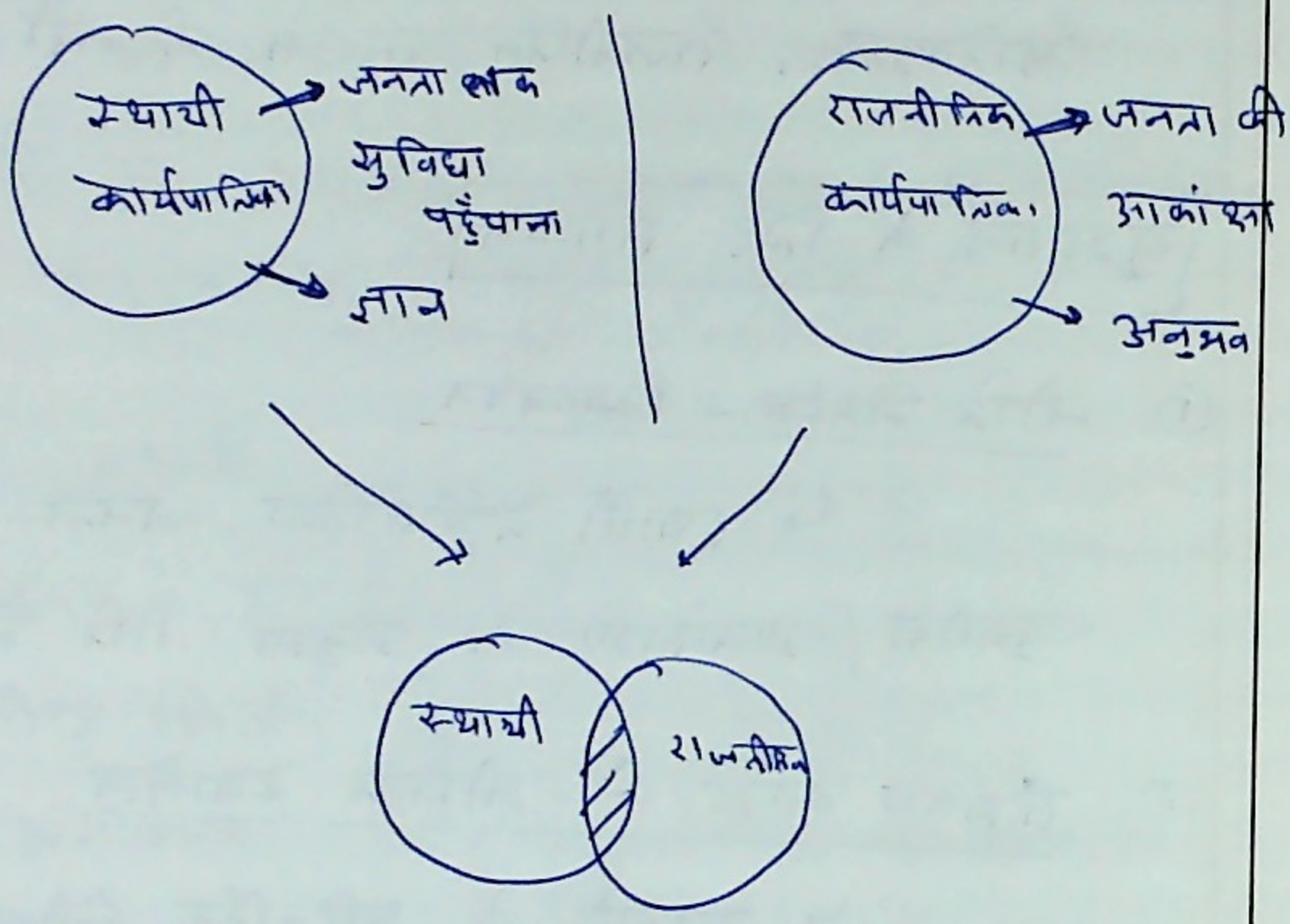

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णत: उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से आशय न्यायपालिका के इतर अन्य माध्यमों से तीव्र न्याय प्राप्त करना है।

उद्देश्य

- तीव्र एवं लागत प्रभावी न्याय।
- न्याय प्रणाली पर दबाव कम करना।
- आपसी समझौता आधारित प्रणाली

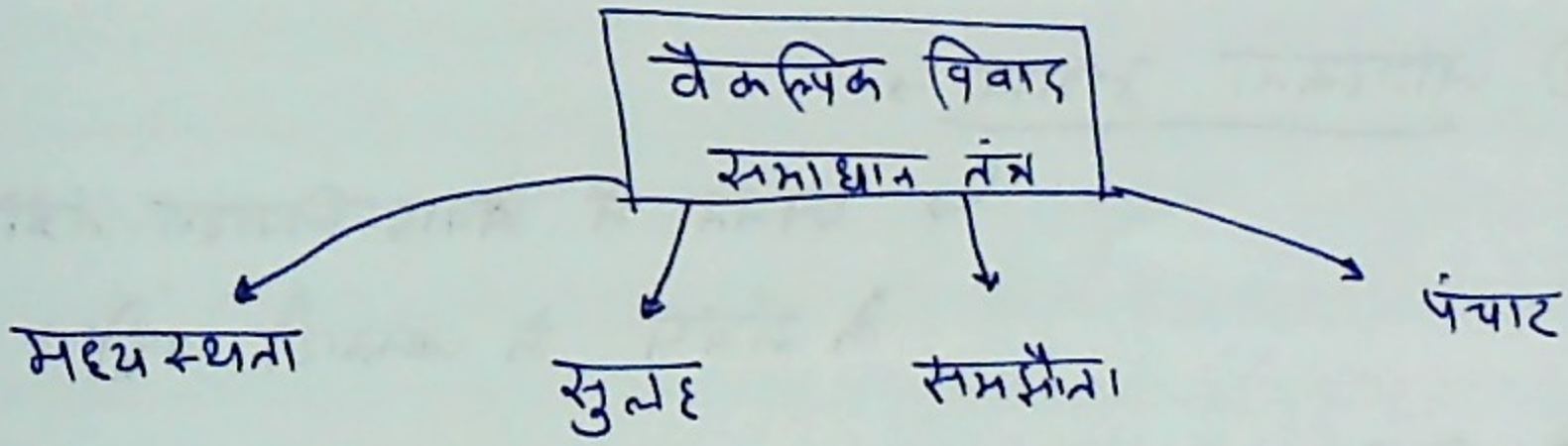

लाभ

① लंबित न्याय प्रणाली -

↳ 3.15 करोड़ लंबित मामले

- SC - 57 हजार
- HC - 45 लाख
- अधीनस्थ - 2.82 करोड़

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

② लागत प्रभावी

↳ वकील संबंधी लागत कम

③ निवेश बढ़ना

↳ विभिन्न परियोजनाओं के लंबित होने से लागत बढ़ती है (NPA बढ़ता है)

④ EOB में सुधार

↳ रैंकिंग में सुधार = निवेश वृद्धि

⑤ प्रतिष्ठा - बिना किसी कानूनी विवाद के समाधान। संस्थान की प्रतिष्ठा वृद्धि।

संभावनाओं के सीमित उपयोग के कारण

① जागरूकता अभाव →

↳ जनता में विवाद निवारण तंत्रों के संबंध में जानकारी नहीं।

② ~~विश्वास~~ आपसी विश्वास की कमी -

लोगों में आपसी विश्वास की कमी के कारण विवादों को सीधा न्यायपालिका

③ पेशेवर मध्यस्थों की कमी

↳ भारत में पेशेवर मध्यस्थों

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।
(Candidate must not write on this margin

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

की अत्यधिक कमी है।

④ सरकारी प्रोत्साहन नहीं
↳ ब्यूरोक्रेटिक सेफ प्ले एप्रोच

के कारण सीधे न्यायालय में (५०% हिस्सेदारी सरकार की मुकदमों में)

आगे की राह

↳ प्रभावी नीति बनाई जाये।
↳ स्थायी मध्यस्थता तंत्र की स्थापना।
↳ लोगों में जागरूकता बढ़ाना।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल में J & K पुनर्गठन अधिनियम द्वारा J & K राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभक्त करने का फैसला लिया गया।

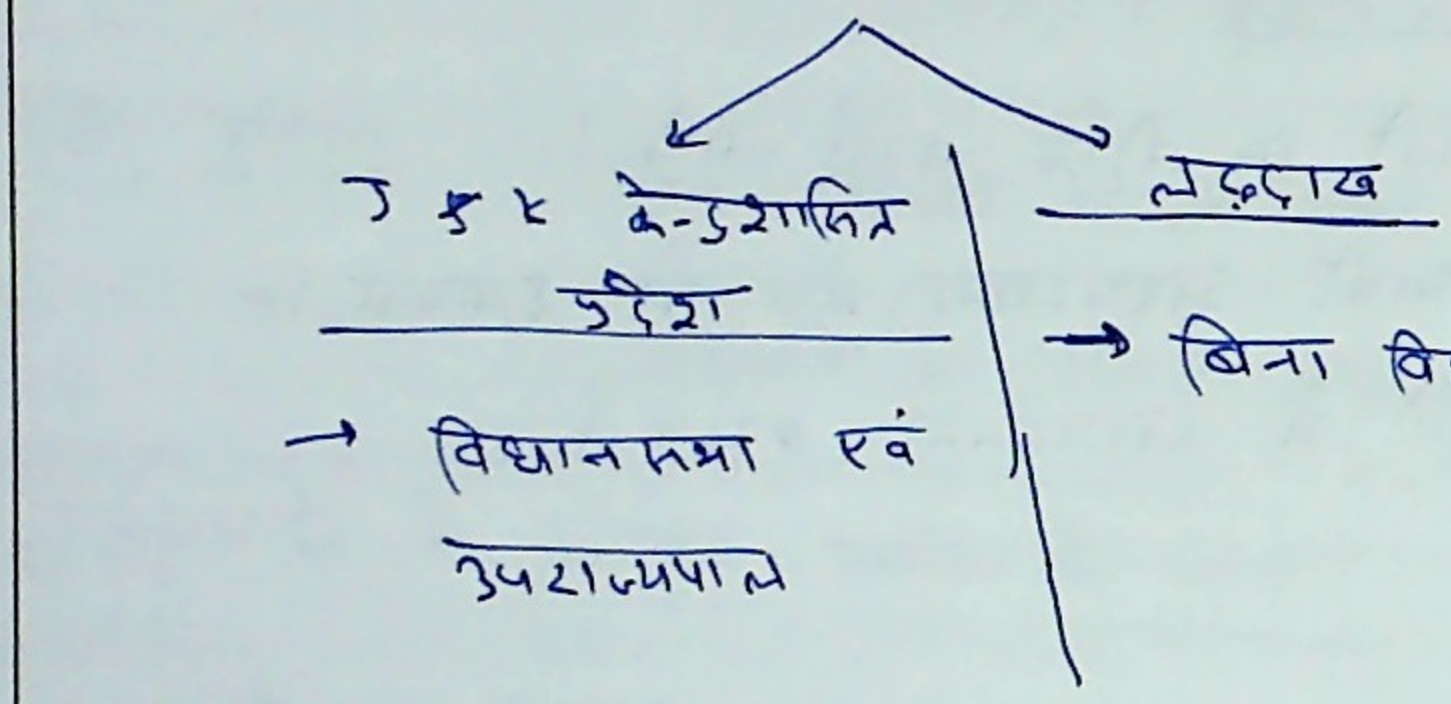

प्रावधान

① J & K राज्य को विभाजित कर दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बँटवारा।

② J & K में विधानसभा की उपस्थिति।

③ लद्दाख को बिना विधानसभा का केन्द्रशासित प्रदेश बनाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

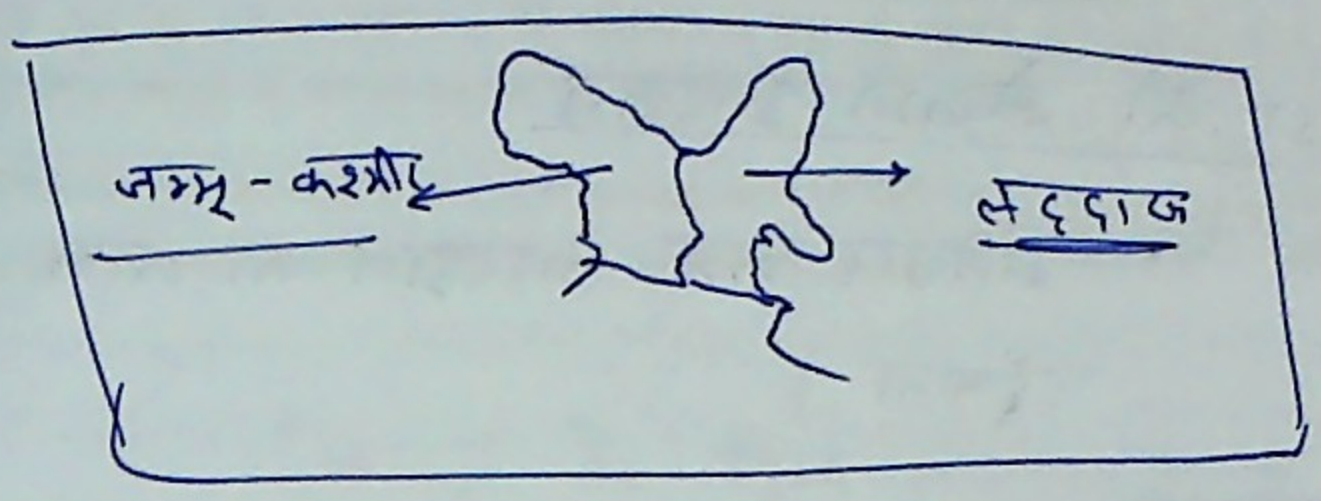

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विशेष प्रावधानों को हटाने का निहितार्थ

① राज्य को भारत से अधिक एकीकरण करना

② संसद का प्रभाव बढ़ाना
↳ संसद के कानून लागू नहीं होते थे

③ अलगाववाद पर चोट
↳ अनुच्छेद 370 की आड़ में पनपा अलगाववाद

④ निवेश बढ़ाना
↳ इससे निजी निवेश बढ़ेगा
↳ पर्यटन में वृद्धि
↳ अवसंरचनात्मक विकास
↳ रोजगार वृद्धि।

⑤ भ्रष्टाचार में कमी
↳ भ्रष्टाचार दोषी तंत्र का विकास नहीं था।
↳ पारदर्शिता बढ़ेगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

⑥ SC/ST को ~~[illegible]~~ आरक्षण

↳ संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ पहुँचाना।

नकारात्मक प्रभाव

→ राज्य के लोगों को अलगाववादियों द्वारा भड़काया जा सकता है।

→ डेमोग्राफी चेंज होने से सन ऑफ द सोइल की धारणा।

→ केन्द्रशासित प्रदेश से राज्य के लोगों में नकारात्मक धारणा।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार दिये गये किन्तु इनका सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। अतः आवश्यकता थी कि इसे हटाकर विकास की गति को बढ़ाया जाये।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vis... ...dation

19. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है? (250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत के हिन्द महासागर में जलीय सीमा साझेदार पड़ोसियों में मालदीव स्वभावत: नेबर्स फर्स्ट नीति के तहत नेचुरल पार्टनर है।

पूर्व राष्ट्रपति यामीन अब्दुल्ला के पो-चायना होने के कारण मालदीव पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, जिससे हिन्द महासागर में चीन की स्थिति मजबूत हुई।

भारत - मालदीव मतभेद -

① मालदीव द्वारा बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रस्तता

↳ मालदीव द्वारा भारत को सदन पड़ोसी न मानना।

② चीन द्वारा निवेश - चीन द्वारा वहाँ लगातार निवेश किया गया।

③ अब्दुल्ला सरकार की एंटी इंडिया नीति -

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

नई सरकार के गठन के बाद भारत-मालदीव रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है।

भारत के हित

→ हिन्द महासागर को स्थायी शांति प्रदान करना।

→ विदेशी तत्वों (चीन) की उपस्थिति को हर कर राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि।

→ समुद्री पायरेसी एवं अन्य गैर-पारम्परिक खतरों से निपटना

मालदीव के हित

→ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अपनी चिंताओं का समाधान।

→ आर्थिक विकास

→ पेयजल एवं अन्य सामाजिक अवसंरचना की पूर्ति।

आगे की राह

भारत द्वारा लगातार मालदीव को सहायता प्रदान की जा रही है। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का प्रभावी विस्तार कर

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।

(Candidate must no write on this margin

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti Founda

drishti | दृष्टि The Vision

मालदीव के विश्वास की पुनर्बहाली आवश्यक है।

→ चीनी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के प्रभावों को कम करना।

→ प्रोजेक्ट मौसम एवं SAGAR → परियोजना द्वारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं? (250 शब्द) 15

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for delay in bringing out these reforms? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् की गई थी। इसमें 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य है।

उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाये रखना
- विभिन्न मुद्दों पर संवाद।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करने वाले घटकों पर कार्यवाही।

UNSC में विवाद

① वीटो का प्रयोग → 5 स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो का प्रयोग करना।
   ↳ भारत के विरुद्ध चीन द्वारा लगातार प्रयोग

② क्षेत्रीय संतुलन नहीं →
   ↳ उत्तर - दक्षिण विभाजन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Founda

drishti | दृष्टि The Vision

↳ क्षेत्रीय संतुलन नहीं
(भारत - चीन)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

③ प्रतिनिधित्व ↳ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से एक भी राष्ट्र न होना

④ वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं

1945 की व्यवस्था वर्तमान भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप नहीं।

भारत का दृष्टिकोण

भारत लंबे समय से UNSC में सुधारों का पक्षधर रहा है। इसके लिए भारत ने G-4 (जापान, जर्मनी, ब्राजील, भारत) का गठन किया है।

भारत का पक्ष

↳ सबसे बड़ा लोकतंत्र।
↳ सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था।
↳ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों का समर्थक & एवं भागीदार।
↳ G-77, अफ्रीकी देशों का पर्याप्त समर्थन।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

↳ स्थायी सदस्यों (रूस, फ्रांस) द्वारा समर्थन

विलंब के कारण

↳ यथास्थितिवादिता - UNSC में सुधारों के प्रति यथास्थितिवादी दृष्टिकोण।

→ वीटो के प्रयोग का मुद्दा।

→ चीन का लगातार विरोध

→ कॉफी क्लब (G-4 के विरोध में)

निष्कर्ष

लगातार बढ़ रहे भारत के महत्व को देखते हुये UNSC में सुधार अपेक्षित है। निकट भविष्य में भारत इसका सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिख चाहिये।

(Candidate must no write on this margi

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation